न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 28/20

प्रार्थी :–

1. गफुरखां पुत्र बादरखां जाति मुसलमान निवारी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला –बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण वकील

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक :–27.10.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,कि सरहद मौजा सिंधियों की ढाणी पटवार हल्का पचपदरा के खसरा सं. 1679/117 रकबा 17.02 बीघा किस्म बा. दोयम में से प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा सं. मूल खसरा न0 1089/117 रकबा 08 बीघा तक जाने हेतु परिशिष्ट 'अ' अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता कृषि उपयोग कराने के इरादे से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थी को दिनांक 6.03.2020 नोटिसे जारी किये गये, जो बाद तामिल के पेश हुए। दिनांक 3.09.2020 को तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना रिपोर्ट में दिनांक 13.10.2019 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा सिंधियों की ढाणी के खेत खसरा न0 1089/117 में आवागमन हेतु उपयुक्त निकटतम रास्ता ख0न0 1679/117 मे से प्रस्तावित किया गया है जिसका रकबा 02 बिस्वा बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 166680/ रूपये प्रति बीघा है जो एन0एस0 से 500 मीटर दूर स्थित है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सिंधियों की ढाणी के खेत खसरा न0 1089/117 में आवागमन हेतु उपयुक्त निकटतम रास्ता ख0न0 1679/117 का अवलोकन किया गया।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवाारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्रम मौजा सिंधियों की ढाणी के खेत खसरा न0 1089/117 में आवागमन हेतु उपयुक्त निकटतम रास्ता ख0न0 1679/117 का है । चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा सिंधियों की ढाणी के खेत खसरा न0 1089/117 में आवागमन हेतु उपयुक्त निकटतम रास्ता ख0न0 1679/117 .में से प्रार्थीगण को आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार डीएलसी रेट 166680/– प्रति बीघा के अनुसार बनता है। रास्ते हेतु उपयुक्त 2 बिस्वा भूमि ली गयी है। जिसका 2 गुणा क्षतिपूर्ति राशि रूपये 33.336 /– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। करें। नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner